



:: सूचना ::

विज्ञप्ति क्र0 92/18

दिनांक 01.02.2018

प्राधिकरण की त्रिवेणी विहार एक मुश्त योजना मे ऑन लाईन पद्धती से शेष 25 रिक्त (दिनांक 01.02.2018 की स्थिति मे) रहे भवनो को अनारक्षित श्रेणी में पाने सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2017-18 (रूपये प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व. मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	पंजीयन राशि (पंजीयन पुष्टि होने के बाद जमा की जाना है।) (रूपये)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी। (रूपये)
1	50, EWS, सेक्टर बी (Block-13)	03	12400/-	40.50Sq.m.	25.00	8,55,858	85,000	7,70,058
2	71, EWS, सेक्टर बी (Block 31,32,37,40)	08	12400/-	40.50Sq.m.	25.00	8,77,200	87,000	7,90,200
3	100, EWS (O) सेक्टर बी (Block 4,12,14)	06	12400/-	40.50Sq.m.	25.00	8,46,790	84,000	7,62,790
4	150, EWS, सेक्टर बी (Block 25,28,29,31)	08	12400/-	40.50Sq.m.	25.00	8,40,700	84,000	7,56,700

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नही हो तथा सम्पत्ति आवंटित नही की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय EWS हेतु रु. 3.00 लाख तक (बिना कटोत्रे के) इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञप्ति व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागु होकर बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

उक्त भवन पूर्व से निर्मित है तथा भवन पंजीयन पश्चात भवन की शेष राशि मांग सूचना पत्र जारी होने से 90 दिवस के भीतर एक मुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। भवन जहां है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किये जा रहे है अतः भवन पंजीयन करवाने के पूर्व स्थल पर जाकर भवनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करें अन्यथा भवन पंजीयन करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन/ अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।

उपरोक्त सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु फार्म/प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujjain.org से केवल आनलाईन दिनांक 01.02.2018 से दिनांक 28.02.2018 (यह तिथि सम्पत्ति रिक्त होने की दशा में निचे लिखे निर्देशों के साथ अधिकतम 28.02.2018 तक बढ़ सकेगी) तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकेंगे। फार्म/प्रपत्र का शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) है। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा और ना ही समायोजित होगा।

1. इस विज्ञप्ति के अंतर्गत शेष रिक्त रहें 25 भवनो की सूचना दिनांक 01.02.2018 को उ.वि.प्राधिकरण मे सूचना बोर्ड /वेबसाईट पर दर्शाई जावेगी। एवं इच्छुक आवेदक दिनांक 01.02.2018 से 28.02.2018 तक पुनः आवेदन प्राप्त एवं जमा करवा सकेगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदनों का पंजीयन लाटरी पद्धति से दिनांक 05.03.2018 को उ.वि.प्रा. में प्रातः 11.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। तथा निर्धारित संख्या से कम पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन कन्फर्म (पुष्टि) माने जावेंगे। पंजीयन पुष्टि होने के बाद दिनांक 06.03.2018 से 20.03.2018 तक मूल दस्तावेज शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, पंजीयन राशि 10 प्रतिशत जमा करवाना होगा। एवं इसके बाद हितग्राही को प्राधिकरण से विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित करवाना होगा।

विशेष नोट:—दिनांक 20.03.2018 को विज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

नोट:— इस सूचना(विज्ञप्ति) अंतर्गत कुल 04 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे हैं। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट में भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट में पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट में आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण में लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

2. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क, नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:—विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट www.udaujjain.org पर उपलब्ध है।

सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

III



कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

:: सूचना ::

विज्ञापित क्र0 93/18

दिनांक 01.02.2018

प्राधिकरण की त्रिवेणी विहार एक मुश्त योजना मे 06 रिक्त (दिनांक 01.02.2018 की स्थिति में) रहे भवनो को ऑन लाईन पद्धती से अनारक्षित श्रेणी में पाने का सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गार्ड लाईन वर्ष 2017-18 (रूपये प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व. मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	पंजीयन राशि (पंजीयन पुष्टि होने के बाद जमा की जाना है।) (रूपये)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी। (रूपये)
1	25, MIG, सेक्टर बी (Block- 46, 49, 50)	03	12400/-	135.00Sq.m.	71.04	30,88,292	3,00,000	27,88,292
2	20 LIG duplex सेक्टर डी (BlockD-1 D-2)	03	12400/-	96.00Sq.m.	48.00 भूतल 48.00 प्रथम तल=96.00	36,26,400	3,60,000	32,66,400

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नही हो तथा सम्पत्ति आवंटित नही की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की **सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय LIG हेतु 3.00 लाख से 6.00 लाख एवं MIG हेतु 2.00 लाख से अधिक (बिना कटोत्रे के)** इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञापित व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागू होकर बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

उक्त भवन पूर्व से निर्मित है तथा भवन पंजीयन पश्चात भवन की शेष राशि मांग सूचना पत्र जारी होने से 90 दिवस के भीतर एक मुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। भवन जहां है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किये जा रहे है अतः भवन पंजीयन करवाने के पूर्व स्थल पर जाकर भवनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करें अन्यथा भवन पंजीयन करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन/ अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।

उपरोक्त सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु फार्म/प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujain.org से केवल आनलाईन दिनांक 01.02.2018 से दिनांक 28.02.2018 (यह तिथि सम्पत्ति रिक्त होने की दशा में निचे लिखे निर्देशो के साथ अधिकतम 28.02.2018 तक बढ़ सकेगी) तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकेंगे। फार्म/प्रपत्र का शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) है। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा और ना ही समायोजित होगा।

1. इस विज्ञापित के अंतर्गत शेष रिक्त रहें 06 भवनो की सूचना दिनांक 01.02.2018 को उ.वि.प्राधिकरण मे सूचना बोर्ड /वेबसाईट पर दर्शाई जावेगी। एवं इच्छुक आवेदक दिनांक 01.02.2018 से 28.02.2018 तक पुनः आवेदन प्राप्त एवं जमा करवा सकेगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदनों का पंजीयन लाटरी पद्धति से दिनांक 05.03.2018 को उ.वि.प्रा. में प्रातः 11.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। तथा निर्धारित संख्या से कम पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन कन्फर्म (पुष्टि) माने जावेंगे। पंजीयन पुष्टि होने के बाद दिनांक 06.03.2018 से 20.03.2018 तक मूल दस्तावेज शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, पंजीयन राशि 10 प्रतिशत जमा करवाना होगा। एवं इसके बाद हितग्राही को प्राधिकरण से विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित करवाना होगा।

विशेष नोट:—दिनांक 20.03.2018 को विज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

नोट:— इस सूचना(विज्ञप्ति) अंतर्गत कुल 02 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे हैं। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट में भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट में पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट में आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण में लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

2. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क, नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:—विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट www.udaujjain.org पर उपलब्ध है।

सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन



:: सूचना ::

विज्ञापित क्र० 94/18

दिनांक 01.02.2018

प्राधिकरण की क्षिप्रा विहार/वसंत विहार एक मुश्त योजना मे ऑन लाईन पद्धती से 11 रिक्त (दिनांक 01.02.2018 की स्थिति में) रहे भवनों को अनारक्षित श्रेणी में पाने सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गार्ड लाईन वर्ष 2017-18 (रूपये प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व. मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	पंजीयन राशि (पंजीयन पुष्टि होने के बाद जमा की जाना है।) (रूपये)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी। (रूपये)
1	क्षिप्रा विहार 17 एम.आय.जी. एम-1	01	14,000/-	9 x 15 = 135.00 वर्ग मीटर	(निर्मित अनुमानित क्षेत्रफल 71.04 व.मी)	3590000	359000/-	32,31,000/-
2	क्षिप्रा विहार 28 एल.आई.जी. द्वितीय	06	14,000/-	4.50x12 = 54.00 व.मी. अर्थात (581.04 वर्ग फीट)	निर्मित अनुमानित क्षेत्रफल 73.26 व.मी.	19,00,788	190078/-	17,10,710/-
3	वसंत विहार बी-6/12 डूप्लेक्स भवन एल-2	01	—	8.0x12=96.0 वर्ग मीटर	122.81 व. मी.	40,53,250	4,05,325/-	36,47,925/-
4	वसंत विहार बी-6/17 डूप्लेक्स भवन एल-2	01	—	10.0x12=120.00 वर्ग मीटर	122.81 व.मी.	46,35,400	4,63,540/-	41,71,860/-
5	वसंत विहार सी-3/18 एल.आय.जी.	01	—	8x11.95=95.60 वर्ग मीटर	56.27 व.मी.	26,12,400	2,61,240/-	23,51,160/-

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नहीं हो तथा सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय **EWS** हेतु रु. 3.00 लाख तक एवं **LIG** हेतु 3.00 लाख से 6.00 लाख एवं **MIG** हेतु 2.00 लाख से अधिक (बिना कटोत्रे के) इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञापित व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागु होकर बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

उक्त भवन पूर्व से निर्मित है तथा भवन पंजीयन पश्चात भवन की शेष राशि मांग सूचना पत्र जारी होने से 90 दिवस के भीतर एक मुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। भवन जहां है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किये जा रहे है अतः भवन पंजीयन करवाने के पूर्व स्थल पर जाकर भवनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करें अन्यथा भवन पंजीयन करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन/ अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

उपरोक्त सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु फार्म/प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujjain.org से केवल आनलाईन दिनांक 01.02.2018 से दिनांक 28.02.2018 (यह तिथि सम्पत्ति रिक्त होने की दशा में निचे लिखे निर्देशो के साथ अधिकतम 28.02.2018 तक बढ़ सकेगी) तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकेंगे। फार्म/प्रपत्र का शुल्क रुपये 1000/- (एक हजार मात्र) है। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा और ना ही समायोजित होगा।

1. इस विज्ञप्ति के अंतर्गत शेष रिक्त रहें 11 भवनो की सूचना दिनांक 01.02.2018 को उ.वि.प्राधिकरण मे सूचना बोर्ड /वेबसाईट पर दर्शाई जावेगी। एवं इच्छुक आवेदक दिनांक 01.02.2018 से 28.02.2018 तक पुनः आवेदन प्राप्त एवं जमा करवा सकेगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदनों का पंजीयन लाटरी पद्धति से दिनांक 05.03.2018 को उ.वि.प्रा. में प्रातः 11.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। तथा निर्धारित संख्या से कम पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन कन्फर्म (पुष्टि) माने जावेंगे। पंजीयन पुष्टि होने के बाद दिनांक 06.03.2018 से 20.03.2018 तक मूल दस्तावेज शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, पंजीयन राशि 10 प्रतिशत जमा करवाना होगा। एवं इसके बाद हितग्राही को प्राधिकरण से विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित करवाना होगा।

विशेष नोट:-दिनांक 20.03.2018 को विज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

नोट:- इस सूचना(विज्ञप्ति) अंतर्गत कुल 05 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे है। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट मे भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट मे पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट मे आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण मे लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नही करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

2. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क,नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:-विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट www.udaujjain.org पर उपलब्ध है।

सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन



:: सूचना ::

विज्ञापित क्र0 95/18

दिनांक 01.02.2018

प्राधिकरण की त्रिवेणी विहार/क्षिप्रा विहार/एल.पी. भार्गन नगर/वीर सावरकर (रेरा अन्तर्गत) एक मुश्त योजना मे ऑन लाईन पद्धती से 32 रिक्त (दिनांक 01.02.2018 की स्थिति में) शेष रहे भवनो को अनारक्षित श्रेणी में पाने सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2017-18 (प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व. मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	पंजीयन राशि (पंजीयन पुष्टि होने के बाद जमा की जाना है।) (रूपये)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी। (रूपये)
1	त्रिवेणी विहार 48 EWS भवन रेरा रजि.क्र. P-Ujn-17-317	20	12,400/-	4.5 X 9 = 40.50 व.मी.	निर्मित 25.00 व.मी.	877200	87,000	7,90,200/- (कार्य प्रगती पर है अतः दो किश्तों की मांग की गई है। भवन निर्माणाधीन है।)
2	क्षिप्रा विहार A 25 एम-1 एवं P-Ujn-17-321 B एम-2 टाईप रेरा पंजीयन क्र. P-Ujn-17-321	05 03	14,000/-	12 x 18 = 216 वर्ग मीटर 12 x 19 = 228 वर्ग मीटर	निर्मित अनुमानित क्षेत्रफल 107.00 वर्ग मीटर	5498000 5679000	5,49,800 567900	49,48,200/- एक मुश्त जमा करनी होगी। 5111100/- एक मुश्त जमा करनी होगी।
3	वीर सावरकर 12 डूप्लेक्स टाईप भवन रेरा पंजीयन क्र. P-Ujn-17-320	04	26,000/-	9 x 7.20 = 64.80 वर्ग मीटर	निर्मित अनुमानित भूतल व प्रथम तल सहित पर 99.00 व.मी	35,44,800	354480	638064 x 5 = 3190320 उक्त योजना में तीन किश्तों की मांग की जा चुकी है अगर आपका पंजीयन कन्फर्म होता है तो आपको तीनों किश्तों की राशि एक मुश्त जमा करनी होगी।

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नहीं हो तथा सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय EWS हेतु रु. 3.00 लाख तक एवं LIG हेतु 3.00 लाख से 6.00 लाख एवं MIG हेतु 2.00 लाख से अधिक (बिना कटोत्रे के) इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञापित व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागू होकर बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

उक्त भवन पूर्व से निर्माणाधीन/निर्मित है तथा भवन पंजीयन पश्चात भवन की शेष राशि मांग सूचना पत्र जारी होने से 90 दिवस के भीतर एक मुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। भवन जहां है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किये जा रहे हैं अतः भवन पंजीयन करवाने के पूर्व स्थल पर जाकर भवनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करें अन्यथा भवन पंजीयन करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन/ अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

उपरोक्त सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु फार्म/प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujain.org से केवल आनलाईन दिनांक 01.02.2018 से दिनांक 28.02.2018 (यह तिथि सम्पत्ति रिक्त होने की दशा में निचे लिखे निर्देशों के साथ अधिकतम 28.02.2018 तक बढ़ सकेगी) तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकेंगे। फार्म/प्रपत्र का शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) है। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा और ना ही समायोजित होगा।

1. इस विज्ञप्ति के अंतर्गत शेष रिक्त रहें 32 भवनो की सूचना दिनांक 01.02.2018 को उ.वि.प्राधिकरण मे सूचना बोर्ड /वेबसाईट पर दर्शाई जावेगी। एवं इच्छुक आवेदक दिनांक 01.02.2018 से 28.02.2018 तक पुनः आवेदन प्राप्त एवं जमा करवा सकेगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदनों का पंजीयन लाटरी पद्धति से दिनांक 05.03.2018 को उ.वि.प्रा. में प्रातः 11.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। तथा निर्धारित संख्या से कम पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन कन्फर्म (पुष्टि) माने जावेंगे। पंजीयन पुष्टि होने के बाद दिनांक 06.03.2018 से 20.03.2018 तक मूल दस्तावेज शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, पंजीयन राशि 10 प्रतिशत जमा करवाना होगा। एवं इसके बाद हितग्राही को प्राधिकरण से विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित करवाना होगा।

विशेष नोट:—दिनांक 20.03.2018 को विज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

नोट:— इस सूचना(विज्ञप्ति) अंतर्गत कुल 03 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे है। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट मे भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट मे पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट मे आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण मे लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नही करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

2. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क,नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:—विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट www.udaujjain.org पर उपलब्ध है।

सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन



:: सूचना ::

विज्ञापित क्र० 111/18

दिनांक 01.02.2018

प्राधिकरण की त्रिवेणी विहार एक मुश्त योजना मे ऑन लाईन पद्धती से शेष 12 रिक्त भवनो को पाने का सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गार्ड लाईन वर्ष 2017-18 (रूपये प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व.मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	(पंजीयन पुष्टि होने के बाद 10 प्रतिशत पंजीयन राशि जमा की जाना है।)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी।	अनारक्षित
1	त्रिवेणी विहार 24 एम-1 भवन	01 भवन	12,400/-	9.30 X 15 = 139.50 वर्ग मीटर	निर्मित 96.60 वर्ग मीटर	34,90,542	3,49,055	31,41,487	अनारक्षित
2	त्रिवेणी विहार 60 EWS भवन सेक्टर-सी	04 भवन	12,400/-	4.5 X 9 = 40.50 व.मी.	निर्मित 25.00 व.मी.	8,95,450	89,545	8,05,905	अनारक्षित
3	त्रिवेणी विहार न्यू 100 EWS भवन सेक्टर-बी	07 भवन	12,400/-	4.5 X 9 = 40.50 व.मी.	निर्मित 25.00 व.मी.	8,59,500	85,000	7,74,500	अनारक्षित

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नहीं हो तथा आवंटित नहीं की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय EWS हेतु रु. 3.00 लाख तक, LIG हेतु 3.00 लाख से 6.00 लाख एवं MIG हेतु 2.00 लाख से अधिक (बिना कटोत्रे के) इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञापित व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागू, बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

उक्त भवन पूर्व से निर्मित है तथा भवन पंजीयन पश्चात भवन की शेष राशि मांग सूचना पत्र जारी होने से 90 दिवस के भीतर एक मुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। भवन जहां है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किये जा रहे हैं अतः भवन पंजीयन करवाने के पूर्व स्थल पर जाकर भवनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करें अन्यथा भवन पंजीयन करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन/ अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

उपरोक्त सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु फार्म/प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujain.org से केवल आनलाईन दिनांक 01.02.2018 से दिनांक 28.02.2018 (यह तिथि सम्पत्ति रिक्त होने की दशा में निचे लिखे निर्देशों के साथ अधिकतम 28.02.2018 तक बढ़ सकेगी) तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकेंगे। फार्म/प्रपत्र का शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) है। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा और ना ही समायोजित होगा।

1. इस विज्ञापित के अंतर्गत शेष रिक्त रहें 12 भवनो की सूचना दिनांक 01.02.2018 को उ.वि.प्राधिकरण मे सूचना बोर्ड /वेबसाईट पर दर्शाई जावेगी। एवं इच्छुक आवेदक दिनांक 01.02.2018 से 28.02.2018 तक पुनः आवेदन प्राप्त एवं जमा करवा सकेगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदनों का पंजीयन लाटरी पद्धति से दिनांक 05.03.2018 को उ.वि.प्रा. में प्रातः 11.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। तथा निर्धारित संख्या से कम पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन कन्फर्म (पुष्टि) माने जावेंगे। पंजीयन पुष्टि होने के बाद दिनांक 06.03.2018 से 20.03.2018 तक मूल दस्तावेज शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, पंजीयन राशि 10 प्रतिशत जमा करवाना होगा। एवं इसके बाद हितग्राही को प्राधिकरण से विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित करवाना होगा।

विशेष नोट:—दिनांक 20.03.2018 को विज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

नोट:— इस सूचना(विज्ञप्ति) अंतर्गत कुल 03 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे हैं। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट में भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट में पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट्स में आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण में लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

2. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क, नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:—विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट www.udaujjain.org पर उपलब्ध है।

सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

III



कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

:: सूचना ::

विज्ञापित क्र 112/18

दिनांक 01.02.2018

प्राधिकरण की क्षिप्रा विहार/वसंत विहार/एल.पी. भार्गव नगर एक मुश्त योजना मे आर्ने लाईन पद्धती के शेष 96 रिक्त भवनो को पाने का सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2017-18 (रूपये प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व.मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	(पंजीयन पुष्टि होने के बाद 10 प्रतिशत पंजीयन राशि जमा की जाना है।)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी।	अनारक्षित
01	क्षिप्रा विहार 75 EWS भवन	08 भवन	14,000/-	4.2 X 9 = 37.80 व.मी.	निर्मित 25.20 व.मी.	8,94,816	89,480	8,05,336	अनारक्षित
02	क्षिप्रा विहार 237 EWS बहुमंजिला भवन	81 भवन	14,000/-	31.59 व.मी.	निर्मित 31.59व.मी.	7,43,200	74,320	6,68,880	अनारक्षित
03	क्षिप्रा विहार 28 LIG भवन	02 भवन	14,000/-	4.5 X 12 = 54.00 व.मी.	निर्मित 73.26 व.मी.	17,58,417	1,75,841	15,82,576	अनारक्षित
04	एल.पी. भार्गव MIG डूप्लेक्स भवन	11/3 11/4	27,000/-	9 X 15 = 135.00 व.मी.	भूतल निर्मित 82.00 व.मी. प्रथमतल 52.00व.मी.	65,32,000	6,55,000	58,77,000	अनारक्षित
05	वसंत विहार सेक्टर-बी 10 MIG भवन	बी 6/7 6/8 6/9	---	9.30 X 15 = 139.50 व.मी.	निर्मित 69.60 व.मी.	52,02,500	5,20,250	46,82,250	अनारक्षित

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नहीं हो तथा आवंटित नहीं की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय EWS हेतु रु. 3.00 लाख तक, LIG हेतु 3.00 लाख से 6.00 लाख एवं MIG हेतु 2.00 लाख से अधिक (बिना कटोत्रे के) इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञापित व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तिओं का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागू, बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

उक्त भवन पूर्व से निर्मित है तथा भवन पंजीयन पश्चात भवन की शेष राशि मांग सूचना पत्र जारी होने से 90 दिवस के भीतर एक मुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। भवन जहां है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किये जा रहे हैं अतः भवन पंजीयन करवाने के पूर्व स्थल पर जाकर भवनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करें अन्यथा भवन पंजीयन करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन/ अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

उपरोक्त सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु फार्म/प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.udaujjain.org से केवल आनलाईन दिनांक 01.02.2018 से दिनांक 28.02.2018 (यह तिथि सम्पत्ति रिक्त होने की दशा में निचे लिखे निर्देशो के साथ अधिकतम 28.02.2018 तक बढ सकेगी) तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकेंगे। फार्म/प्रपत्र का शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) है। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा और ना ही समायोजित होगा।

1. इस विज्ञप्ति के अंतर्गत शेष रिक्त रहें 96 भवनो की सूचना दिनांक 01.02.2018 को उ.वि.प्राधिकरण मे सूचना बोर्ड /वेबसाईट पर दर्शाई जावेगी। एवं इच्छुक आवेदक दिनांक 01.02.2018 से 28.02.2018 तक पुनः आवेदन प्राप्त एवं जमा करवा सकेगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदनों का पंजीयन लाटरी पद्धति से दिनांक 05.03.2018 को उ.वि.प्रा. में प्रातः 11.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। तथा निर्धारित संख्या से कम पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन कन्फर्म (पुष्टि) माने जावेंगे। पंजीयन पुष्टि होने के बाद दिनांक 06.03.2018 से 20.03.2018 तक मूल दस्तावेज शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, पंजीयन राशि 10 प्रतिशत जमा करवाना होगा। एवं इसके बाद हितग्राही को प्राधिकरण से विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित करवाना होगा।

विशेष नोट:-दिनांक 20.03.2018 को विज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

नोट:- इस सूचना(विज्ञप्ति) अंतर्गत कुल 05 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे है। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट मे भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट मे पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट्स मे आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण मे लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नही करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

2. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क,नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।

3. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:-विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट www.udaujjain.org पर उपलब्ध है।

सम्पदा अधिकारी
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन